

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक- 2449 /FP/UK/ROAD/38290/2020:देहरादून: दिनांक: 13 अप्रैल 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,  
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद-पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बनकोट से बुराखोली (धारी धुमलाकोट) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.856 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/38290/2017)

सन्दर्भ:-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून 25 सुभाष रोड, देहरादून का पत्र सं०- 8बी०/यू०सी०पी०/०६/७५/२०२०/एफ० सी०/१८०५, दि०:-२५/११/२०२०।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयान्वित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 4397/12-1(2) दिनांक 28.03.2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है :-

क्र० सं०	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्तें	कृत कार्यवाही
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदले जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-1)
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	उक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।
3	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.712 हे० गैर वानिकी भूमि ग्राम ग्वासीकोट खसरा नं० 4824 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहाँ तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लान्टेशन से बचें।	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 9.712 हे० गैर वानिकी भूमि ग्राम ग्वासीकोट खसरा नं० 4824 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहाँ तक व्यवहारिक होगा, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल प्लान्टेशन से बचा जाएगा।
	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त की जाएगी, guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग, के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	(ख) इस शर्त के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दोगुनी भूमि 9.712 हे० सिविल सोयम भूमि को जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा इस वन विभाग के नाम हस्तान्तरित एवं नामान्तरित कर दिया गया है। सम्बन्धित आदेश की प्रति व खसरा खतौनी की नकल की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-2) एवं उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 9.712 हे० सिविल भूमि को आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक-3)

	(ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(ग) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा प्रेषित प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)
4	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नम्बर 556, दिनांक:- 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0, (pt.2) दिनांक:- 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0, दिनांक:-03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक:- 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.856 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	(क) सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 04(क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 41,03,320.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से उत्तरांचल कैम्पा के कॉरपोरेशन बैंक नई दिल्ली के खाते में चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-5)
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-6)
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 331 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के श्रद्ध पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-7)
6	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी द्वारा सी.ए. क्षेत्र का स्वयं भ्रमण कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि क्षेत्र का घनत्व कितना है, तथा इसमें प्रति 1000 पौधे हे0 के मान से रोपित किये जा सकते हैं अथवा नहीं। यदि नहीं हो वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त equivalent अवनत भूमि का चयन कर राज्य सरकार द्वारा जानकारी प्रस्तुत की जाये।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-8)
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh-nic-in/">https://parivesh-nic-in/</a> ) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधक और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किये जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh-nic-in/">https://parivesh-nic-in/</a> ) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधक और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किया जा चुका है। (संलग्नक-5 के अनुसार)
8	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के कलए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-9)
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0 2006 का अनुपालन अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित


	सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। वचनबद्धता संलग्न है। (संलग्नक-10)
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-11)
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साइनेज लगाये जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-12)
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोक्तार्ता अभिकरण पर्यावरणीय रवीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-13)
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-14)
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-15)
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनों स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-16)
16	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-17)
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-18)
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-19)
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-20)
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या-11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-21)
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-22)
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-23)

4	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रकार से लागू होते हैं तो उनके आधिन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंन्सी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-24)
25	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh-nic-in/">https://parivesh-nic-in/</a> ) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <a href="http://parivesh.nic.in">http://parivesh.nic.in</a> ) पर अपलोड की जाएगी। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-25)

अतः अनुरोध है कि प्रकरण की सामरिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,


  
(बी०पी० गुप्ता)

अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या- 8449/FP/UK/ROAD/38290/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि वि० पिथौरागढ़।

  
(बी०पी० गुप्ता)

अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।